ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/5899/2003/सवाईमाधोपुर घासी बनाम शंकरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री हरी शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री श्री मदनलाल गूर्जर, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री एल0एस0माथुर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी के ब्रीफ होल्डर।

––

निर्णय

दिनांकः 14–01–2020

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा अपील सं0 178/2002 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 15–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 88,90 ए, 188 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विवादित आराजी बाबत् पेश किया, जिसे उन्होंने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02–09–2002 द्वारा वादी का वाद डिक्री किया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में पेश की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–11–2003 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/5899/2003/सवाईमाधोपुर घासी बनाम शंकरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–09–2002 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई हैं।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का घ्यानपूर्वक अध्ययन किया।

वर्तमान अपील में अपीलार्थी/वादी का वाद इस आधार पर स्वीकार किया गया था कि विवादित भूमि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी 1,2 के पिता एवं प्रत्यर्थी सं0 3 के पति की खातेदारी की भूमि है। जबकि प्रकरण में ऐसा कोई अभिलेख पेश नहीं किया गया है, जिसके आधार पर भूमि का पैतृक होना प्रकट हो। जो अभिलेख पेश किया गया है उसमें भूमि प्रत्यर्थी सं0 1 व 2 के पिता एवं 3 के पति के नाम अंकित है। हमारी सुविचारित राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत आदेश पारित किया है, क्योंकि मात्र इकरारनामे के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई खातेदारी अध्याकार प्राप्त नहीं हो सकते। हमारी सुविचारित राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में उचित निर्णय पारित किया है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार व औचित्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15–11–2003 यथावत रखा जाता है।

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/5899/2003/सवाईमाधोपुर घासी बनाम शंकरलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हरी शंकर गोयल) सदस्य (शिखर अग्रवाल) सदस्य	